

10/11/20

वकील उषयपक्ष उपस्थित) वकील आधी न  
उपस्थित होऊ निवेदन किया है कि वे इस  
आधी पत्र को आगे नहीं चलाता चाहते।  
वकील आधी ने आधी पत्र को Not Press में  
खारिज करने की निवेदन किया है।

इस वकील आधी इस मुकदमे की आधी  
पत्र को चलाता नहीं चाहते हैं उनके द्वारा  
आधी पत्र Not Press किए जाने पर आधी  
की आधी पत्र मुकदमे की पूरी stage पर खारिज  
बिना आता है। पत्रावली फिसल हुआ होकर  
जाइ वकील दा.द. ए।

W.K.

जिला कलक्टर  
भारतपुर (राज.)

अधी  
पत्र  
वकील  
श्री  
Not Press  
पत्र

